

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-69/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० शिवागी सिन्हा, सीनियर रेजीडेंट, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बेतिया, पश्चिमी चम्पारण के द्वारा दिनांक-23.10.2023 से 20.01.2024 तक कुल-90 (नब्बे) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्राक-142(25), दिनांक-15.01.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता तथा वित्त विभागीय पत्राक-9889, दिनांक-01.12.2015 एवं सेवा संहिता के नियम-220A के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा० शिवागी सिन्हा को 640(छ सौ चालीस) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल-69/2024- 886(2) पटना, दिनांक 29/5/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, बेतिया/डा० शिवागी सिन्हा, सीनियर रेजीडेंट, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बेतिया, पश्चिमी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव